

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (भारत सरकार का मिनीरत्न श्रेणी -1 उपक्रम) औद्योगिक संबंध विभाग पंजीकृत कार्यालय: कोल ईस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर – ४४०००१ सीआईएन: U10100MH1975GOI018626 वेबसाइट: www.westerncoal.in		Western Coalfields Limited (A Miniratna Cat-1 Govt. of India undertaking) INDUSTRIAL RELATIONS DEPARTMENT Regd. Office: Coal Estate, Civil Lines, Nagpur – 440001 CIN: U10100MH1975GOI018626 Website: www.westerncoal.in
--	---	--

वैधानिक पर्यवेक्षी कर्मचारियों की भर्ती

रोजगार अधिसूचना संख्या: 2026/69 दिनांक 16.07.2026

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल), एक मिनी रत्न कंपनी भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जिसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। डब्ल्यूसीएल एक कोयला खनन कंपनी है जिसका संचालन महाराष्ट्र (नागपुर, चंद्रपुर और यवतमाल जिले) और मध्य प्रदेश (बैतूल और छिंदवाड़ा जिले) में फैले 10 क्षेत्रों में अत्यधिक मशीनीकृत खुली और भूमिगत कोयला खदानों के माध्यम से किया जाता है।

डब्ल्यूसीएल अपनी भूमिगत (UG) और खुली (OC) खदानों के लिए माइनिंग सरदार, टी एंड एस ग्रेड-सी और सहायक फोरमैन (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल)/इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, टी एंड एस ग्रेड-सी के पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करता है। इन पदों पर नीचे दी गई जानकारी के अनुसार भर्ती की जाएगी। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के आधार पर किया जाएगा।

(1) रिक्तियां (तालिका १)

पद	यूआर	ईडब्ल्यू एस	एससी	एसटी	ओबीसी (एनसीएल)	कुल रिक्तियां	पीडब्ल्यू बीडी*	ईएसएम
		ऊर्ध्वाधर आरक्षण					क्षैतिज आरक्षण	
माइनिंग सरदार, टी एंड एस ग्रेड-सी	101	22	24	38	35	220	NIL	22
सहायक फोरमैन (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल)/इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, टी एंड एस ग्रेड-सी	91	22	26	29	56	224	09	22

संक्षेपण: टीएंडएस = तकनीकी एवं पर्यवेक्षी, यूआर = अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, ओबीसी (एनसीएल) = अन्य पिछड़ा वर्ग (नान-क्रीमी लेयर), पीडब्ल्यूबीडी = बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (दिव्यांगजन), ईएसएम = भूतपूर्व सैनिक

नोट:

- ऊपर दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और डब्ल्यूसीएल प्रबंधन के निर्णय पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- पात्रता/उपयुक्तता/आयु निर्धारण सहित सभी उद्देश्यों के लिए कट-ऑफ तिथि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि अर्थात् **10.08.2026** होगी।

- * भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक CIL/C5A/MP&IR/RPwD/75 दिनांक 27.09.2024 के अनुसार माइनिंग सरदार का पद पीडब्ल्यूबीडी हेतु चिन्हित पदों की सूची में शामिल नहीं है, अतः इस पद पर पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण लागू नहीं होगा। सहायक फोरमैन (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल)/इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, टी एंड एस ग्रेड-सी के पद के लिए दिव्यांगजनों का आरक्षण निम्नानुसार है (तालिका २)

संबंधित पद हेतु शारीरिक आवश्यकताएं	पद हेतु उपयुक्त दिव्यांगता श्रेणी
एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, एमएफ, एसई, आरडब्ल्यू, एच, सी	क. एचएच ख. ओए, ओएल, बीएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी ग. एसएलडी घ. एमडी उपरोक्त (क) से (ग) तक

शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर: एस = बैठना (Sitting), एसटी = खड़े होना (Standing), डब्ल्यू = चलना (Walking), बीएन = झुकना (Bending), एमएफ = उंगलियों से काम करना (Manipulation with Fingers), एसई = देखना (Seeing), आरडब्ल्यू = पढ़ना और लिखना (Reading & Writing), एच = सुनना (Hearing), सी = संचार (Communication).

श्रेणी के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप: एचएच = श्रवण बाधित (Hard Of Hearing), ओए = एक हाथ (One Hand), ओएल = एक पैर (One Leg), बीएल = दोनों पैर (Both Legs), एलसी = कुष्ठ रोग से ठीक हुए (Leprosy Cured), डीडब्ल्यू = बौनापन (Dwarfism), एएवी = एसिड हमले के शिकार (Acid attack victims), एसएलडी = विशिष्ट अधिगम अक्षमता (Specific Learning Disability), एमडी = बहु-दिव्यांगता (Multiple Disabilities)

(2) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पात्रता मापदंड और पाठ्यक्रम

विभिन्न पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, पात्रता मापदंड और पाठ्यक्रम नीचे दी गई तालिका (तालिका ३) में दिए गए हैं:

क्र.सं.	पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता मापदंड	पाठ्यक्रम
1	माइनिंग सरदार, टी एंड एस ग्रेड-सी	क) डीजीएमएस द्वारा जारी वैध माइनिंग सरदार सक्षमता प्रमाण पत्र ख) वैध गैस परीक्षण प्रमाण पत्र ग) वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र घ) भूमिगत खानों में काम करने का 3 वर्ष का अनुभव या क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ख) डीजीएमएस द्वारा जारी वैध ओवरमैन सक्षमता प्रमाण पत्र ग) वैध गैस परीक्षण प्रमाण पत्र घ) वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र	संलग्न - अनुलग्नक I
2	सहायक फोरमैन (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल)/इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, टी एंड एस ग्रेड-सी	क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (न्यूनतम 3 वर्ष का कोर्स) ख) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी खदानों के लिए वैध इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी प्रमाण पत्र	संलग्न - अनुलग्नक II

नोट:

- i. केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित समकक्ष योग्यता अथवा संबंधित विषय में उच्चतर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन करने के पात्र होंगे।
- ii. माइनिंग सरदार टी एंड एस ग्रेड-सी पद हेतु डीजीएमएस द्वारा जारी उच्चतर वैधानिक सक्षमता प्रमाणपत्र रखने वाले अभ्यर्थी भी पात्र होंगे।
- iii. दूरस्थ शिक्षा/अंशकालिक या उनके समकक्ष के माध्यम से प्राप्त डिग्री/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा योग्यता अस्वीकार्य होंगे।
- iv. चूंकि उपर्युक्त रिक्तियां भूमिगत एवं खुली दोनों खदानों के लिए है इसलिए सीमित सक्षमता प्रमाण-पत्र रखने वाले अभ्यर्थी उपरोक्त पदों के लिए पात्र नहीं होंगे।

(3) न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा

- i. आवेदक की आयु कट-ऑफ तिथि पर 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- ii. कट-ऑफ तिथि पर अनारक्षित (यूआर) और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
- iii. निम्नलिखित श्रेणियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी (तालिका ४):

क्र.सं.	श्रेणी	कट-ऑफ तिथि के अनुसार ऊपरी आयु सीमा से परे स्वीकार्य अधिकतम आयु में छूट
1	अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस	कोई छूट नहीं
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	03 वर्ष
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	05 वर्ष
4	दिव्यांगजन (अनारक्षित)	10 वर्ष
5	दिव्यांगजन (अन्य पिछड़ा वर्ग - नॉन-क्रीमी लेयर)	13 वर्ष
6	दिव्यांगजन (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	15 वर्ष
7	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	रक्षा सेवाओं में दी गई सेवा की वास्तविक अवधि + 3 वर्ष अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस के लिए, 6 वर्ष ओबीसी (एनसीएल) के लिए और 8 वर्ष एससी/एसटी के लिए, बशर्ते अधिकतम आयु 50 साल हो
8	विभागीय अभ्यर्थी (सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारी)	कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं

iv. केंद्रीय अथवा राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक विद्यालय परीक्षा/ समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि ही स्वीकार की जाएगी। जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए बाद में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

v. कट-ऑफ तिथि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि अर्थात् 10.08.2026 होगी।

(4) वेतनमान एवं प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि

अधिसूचित पदों के लिए मूल वेतन और प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि नीचे दी गई तालिका (तालिका ५) में उल्लिखित हैं:

क्र.सं.	पद	एनसीडब्ल्यूए XI के अनुसार प्रारंभिक मूल वेतन	प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि	प्रशिक्षण/परिवीक्षा के सफल समापन के बाद अभ्यर्थियों का ग्रेड
1	माइनिंग सरदार, टी एंड एस ग्रेड-सी	रूपये 47330.25 प्रति माह	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने की परिवीक्षा अवधि	टी एंड एस ग्रेड-सी
2	सहायक फोरमैन (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल)/इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, टी एंड एस ग्रेड-सी	रूपये 47330.25 प्रति माह	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष का प्रशिक्षण	टी एंड एस ग्रेड-सी

उपरोक्त मूल वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, उपस्थिति बोनस, विशेष भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन सब्सिडी, चिकित्सा सुविधा आदि एनसीडब्ल्यूए XI के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। प्रशिक्षण/परिवीक्षा के सफल समापन के बाद आगे की पदोन्नति/करियर प्रगति मौजूदा संबंधित पदों की कैडर स्कीम और नियमों के अनुसार होगी।

(5) आरक्षण

i. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम हेतु आरक्षण भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियमों, नियमों, दिशा-निर्देशों, अधिसूचनाओं एवं संशोधनों के अनुसार लागू किया जाएगा।

ii. कुल रिक्तियों और आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा वास्तविक आवश्यकता के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण परिणामों के अंतिमकरण के समय भारत सरकार के प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार लागू होगा।

iii. ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी/ईएसएम के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट लाभ चाहने वाले सभी अभ्यर्थियों को यह आवश्यक तौर पर सुनिश्चित करना है कि वे नियमों/दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता के अनुसार आरक्षण/छूट के हकदार हैं। नियमों/दिशानिर्देशों में निर्धारित उनके दावे के समर्थन में उन्हें निर्धारित प्रारूप में सभी वांछित प्रमाण-पत्र अपने पास होना आवश्यक है। निर्धारित प्रारूप इस रोजगार अधिसूचना के साथ सुलभ संदर्भ के लिए **अनुलग्नक III** के रूप में संलग्न है, अभ्यर्थी अपनी पात्रता के अनुसार आरक्षण/छूट लाभ का दावा करने के लिए उपयुक्त प्रारूप चुन सकते हैं।

iv. आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध विचार किए जाने तथा आरक्षित श्रेणियों को उपलब्ध अन्य रियायतों का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

v. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास **(केवल केंद्रीय सूची के लिए लागू)** जाति/समुदाय प्रमाण-पत्र है।

vi. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को **अनुलग्नक III** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति, वह अधिनियम/आदेश जिसके अंतर्गत उक्त जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के

रूप में मान्यता प्राप्त है तथा अभ्यर्थी का सामान्य निवास स्थान (ग्राम/नगर) स्पष्ट रूप से अंकित हो। महाराष्ट्र राज्य से जारी जाति/श्रेणी प्रमाणपत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जाति प्रमाणपत्र के अतिरिक्त सक्षम जांच समिति (Scrutiny Committee) द्वारा जारी जाति वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) भी प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सामुदायिक आरक्षण का लाभ तभी प्राप्त होगा जब उसकी जाति भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय आरक्षित सूची में सम्मिलित हो।

vii. ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी हेतु आरक्षित रिक्तियां केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होंगी। ओबीसी (एनसीएल) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कट-ऑफ तिथि तक वे क्रीमी लेयर श्रेणी में नहीं आते हों। ओबीसी आरक्षित रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ **अनुलग्नक III** में दिये गए वैध नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र एवं स्व-घोषणा पत्र अपलोड करना होगा तथा दस्तावेज सत्यापन के समय मूल/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

viii. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो बिना किसी छूट वाले मानकों के अपनी स्वयं की योग्यता के आधार पर चुने गए हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के तहत समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित (UR) श्रेणी की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

ix. एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जो आयु सीमा, सीबीटी में न्यूनतम अर्हकारी अंक अथवा अन्य किसी शिथिल मानदंड का लाभ लेकर अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी मेरिट स्थान चाहे जो भी हो, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध ही गिना जाएगा, न कि अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध।

x. ईएसएम और पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण का स्वरूप क्षैतिज है - सामान्य श्रेणी के ईएसएम/पीडब्ल्यूबीडी को यूआर के स्थान पर समायोजित किया जाएगा, ओबीसी (एनसीएल) श्रेणी के ईएसएम/पीडब्ल्यूबीडी को ओबीसी (एनसीएल) के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के ईएसएम/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

xi. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पुनर्नियोजन हेतु उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त कर नियमित आधार पर सिविल क्षेत्र में समूह 'C' अथवा समूह 'D' पदों पर सरकारी सेवा प्राप्त कर ली है, वे ईएसएम आरक्षण एवं शुल्क रियायत के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि उन्होंने प्रारंभिक सिविल सेवा में नियुक्ति ग्रहण करने के तुरंत पश्चात संबंधित नियोक्ता को उन सभी रिक्तियों के संबंध में स्व-घोषणा/प्रतिज्ञा-पत्र प्रस्तुत किया हो, जिनके लिए उन्होंने सिविल सेवा ग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया था, तो वे डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36034/1/2014-Estt.(Res.) दिनांक 14.08.2014 के अनुसार आगामी रोजगार अवसरों हेतु ईएसएम आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

xii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), मंत्रालय PPG&P के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36039/1/2019-Estt.(Res.) दिनांक 31.01.2019 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की सकल वार्षिक आय के आधार पर जारी किया गया हो।

xiii. आरक्षण हेतु मानक दिव्यांगता की सीमा तथा दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी: - PwBD श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिनमें संबंधित मानक दिव्यांगता (Benchmark Disability) कम से कम 40 प्रतिशत हो। आरक्षण अथवा शिथिलता का लाभ प्राप्त करने वाले तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित PwBD अभ्यर्थियों को दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अध्याय-7 में निर्धारित प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। PWD Act, 1995 (अब निरस्त) के अंतर्गत जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि तक वैध माने जाएंगे।

xiv. मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (PwBD) को भारत सरकार के प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि लागू हो एवं अभ्यर्थी द्वारा अनुरोध किया गया हो, तो लेखक (Scribe) की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस

संबंध में भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन क्रमांक F.No.34-02/2015-DD-III दिनांक 29.08.2018 लागू होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को सीबीटी में उपस्थित होने के समय **अनुलग्नक IV** में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार लेखक (Scribe) प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) चयन प्रक्रिया

i. इस अधिसूचना में निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि तक न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल होना होगा। परीक्षा की तिथि, समय एवं परीक्षा केंद्र का विवरण आधिकारिक वेबसाइट/भर्ती पोर्टल के माध्यम से जारी प्रवेश-पत्र (Admit Card) द्वारा सूचित किया जाएगा।

ii. कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी (भाग 1 सामान्य योग्यता - 20 प्रश्न; भाग 2 तकनीकी विषय - 80 प्रश्न) और प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी। परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक विकल्प सही उत्तर होगा। किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक (नेगेटिव) मार्किंग नहीं होगी। हल नहीं किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नपत्र द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) होगा। हालांकि प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में किसी भी त्रुटि/अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण अंतिम एवं मान्य होगा।

iii. संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सीबीटी के अधिकतम अंक और न्यूनतम अर्हता अंक नीचे दिए गए (तालिका ६) के अनुसार होंगे:

क्र.सं.	पद	अधिकतम अंक	अभ्यर्थियों की श्रेणी	न्यूनतम अर्हता अंक
1	माइनिंग सरदार, टी एंड एस ग्रेड-सी	100	अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस ओबीसी(एनसीएल) एससी/एसटी	50 अंक 45 अंक 40 अंक
2	सहायक फोरमैन (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल)/इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, टी एंड एस ग्रेड-सी	100	अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस ओबीसी(एनसीएल) एससी/एसटी	50 अंक 45 अंक 40 अंक

iv. अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा घोषित पात्रता के आधार पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ आवेदनों की जांच/सत्यापन का कार्य सीबीटी के परिणाम की घोषणा के बाद किया जाएगा जिसे सीबीटी के सफल समापन के बाद यथाशीघ्र डब्ल्यूसीएल वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

v. अभ्यर्थियों को सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ऐसे शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी में योग्यता के अनुसार दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों की जांच/सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेजों की जांच के लिए विचार का क्षेत्र प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या का 3 (तीन) गुना होगा। अभ्यर्थियों को जांच/सत्यापन के लिए इस विज्ञापन में अधिसूचित पात्रता मापदंडों के अनुसार आवेदन की एक प्रति, मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज और प्रत्येक प्रमाण पत्र/दस्तावेज की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के एक सेट के साथ उपस्थित होना होगा। यदि आवेदन/दस्तावेजों में उल्लिखित आयु, जाति, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, सक्षमता और अन्य विवरण इस अधिसूचना में उल्लिखित पात्रता मानदंडों से मेल नहीं खाते हैं या उनके अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जांच/सत्यापन की तिथि,

समय और स्थान की सूचना डब्ल्यूसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अधिसूचित की जाने वाली जांच की तिथि पर डब्ल्यूसीएल अधिकारियों के समक्ष दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अंतिम पैनल में शामिल करने पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

vi. दस्तावेजों की जांच/सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों के संबंधित श्रेणी में प्राप्त अंकों के आधार पर उनका 'मेरिट पैनल' डब्ल्यूसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उनके प्राप्त अंकों के क्रम में प्रकाशित किया जाएगा।

vii. सीबीटी में प्राप्त अंकों में टाई होने की स्थिति में, पहले जन्म तिथि (उम्र बड़ी होने पर पहले) और फिर मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में उनके पहले नाम के वर्णमाला क्रम के अनुसार मेरिट स्थान तय करने के लिए विचार किया जाएगा।

viii. चयनित अभ्यर्थियों को उनकी सापेक्ष मेरिट स्थान के अनुसार तथा रिक्तियों के अंतर्गत आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पदों के आरक्षण पर उचित विचार करते हुए अनंतिम नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाएगा।

ix. यदि दस्तावेज सत्यापन, परिवीक्षा अवधि अथवा सेवा के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी अभ्यर्थिता/नियुक्ति निरस्त कर उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

(7) आवेदन शुल्क

अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान निम्नानुसार करना होगा (तालिका ७):

अनारक्षित (यूआर) / ओबीसी (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस	रु. 1180/- (केवल एक हजार एक सौ अस्सी रुपये) (रु. 1000/- + लागू जीएसटी रु. 180/-)
एससी/एसटी/ईएसएम/विभागीय अभ्यर्थी	शून्य

नोट 1: निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त अनारक्षित (यूआर) / ओबीसी (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट 2: किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

नोट 3: ऊपर निर्धारित आवेदन शुल्क के अलावा कोई भी कर या बैंक शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किया जाएगा।

नोट 4: आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जाएगा। आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए कोई अन्य तरीका नहीं होगा। यदि कोई अभ्यर्थी किसी अन्य तरीके से शुल्क जमा करता है तो डब्ल्यूसीएल जिम्मेदार नहीं होगा।

(8) अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश

i. अभ्यर्थी इस अधिसूचना के अंतर्गत विज्ञापित दोनों पदों (तालिका १ में दर्शित) में से केवल **एक पद** हेतु आवेदन कर सकते हैं। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने पर अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

ii. सभी योग्यताएं एआईसीटीई/यूजीसी/उपयुक्त भारतीय सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

iii. **परीक्षा आयोजन हेतु शहर:** कंप्यूटर आधारित परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र में बताए गए परीक्षा शहरों में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार सूची से परीक्षा शहरों का चयन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। डब्ल्यूसीएल किसी भी परीक्षा शहर को आवंटित करने या

अभ्यर्थी द्वारा चुने गए परीक्षा शहर को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर डब्ल्यूसीएल सूची से किसी भी शहर को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

iv. केवल ऑनलाइन भर्ती पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

v. किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रता एवं अन्य शर्तों को पूरा करते हैं।

vi. ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

vii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आवेदन में सही एवं पूर्ण विवरण का उल्लेख किया गया है और ऑनलाइन पोर्टल में अंतिम रूप से आवेदन जमा करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न हैं। आवेदन जमा करने के बाद उसमें कोई भी बदलाव/सुधार करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

viii. पात्रता मापदंड, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, पद के लिए चयन का तरीका आदि के बारे में डब्ल्यूसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा। केवल आवश्यक पात्रता पूरी कर लेने मात्र से अभ्यर्थियों को परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन/चयन के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अयोग्य पाए गए और परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाए गए अभ्यर्थियों से कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ix. किसी अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी कर देने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि उसकी अभ्यर्थिता डब्ल्यूसीएल द्वारा स्वीकृत कर दी गई है।

x. **तालिका ३** में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा पात्रता मानदंडों में किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

xi. दूरस्थ शिक्षा/अंशकालिक या समकक्ष योग्यता के माध्यम से अर्जित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पर विचार नहीं किया जाएगा।

xii. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी (यूआर/ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/भूतपूर्व सैनिक आदि) सावधानीपूर्वक भरें। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के साथ वैध जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। यदि आवेदन के साथ कोई वैध जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को केवल यूआर श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा। चयन प्रक्रिया के बाद के चरण में श्रेणी परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

xiii. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र/ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र/पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण-पत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी से सत्यापित किया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/योग्यता संतोषजनक/वास्तविक नहीं पाई जाती है तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

xiv. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए।

xv. भूतपूर्व सैनिकों को दस्तावेज सत्यापन के समय भारतीय संघ की सेना/नौसेना/वायु सेना द्वारा जारी निर्वहन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

xvi. अभ्यर्थियों के पास सक्रिय ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है, जो कम से कम अगले एक वर्ष तक वैध रहना चाहिए। अभ्यर्थियों से सभी पत्राचार पंजीकृत ई-मेल आईडी या मोबाइल नंबर (आवश्यकतानुसार) के माध्यम

से किया जाएगा और सभी सामान्य जानकारी डब्ल्यूसीएल वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। **हालांकि, ई-प्रवेश पत्र केवल आधिकारिक वेबसाइट/भर्ती पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जाएंगे और अभ्यर्थियों को ई-प्रवेश पत्र (E-Admit Card) डाउनलोड करना होगा।** आवेदन पत्र, ई-प्रवेश पत्र और अन्य जानकारी प्राप्त करने, डाउनलोड करने और प्रिंट करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रदान किए गए अमान्य/गलत/अधूरे संपर्क विवरण या देरी से अथवा सूचना प्राप्त न होने के कारण दस्तावेज के किसी भी नुकसान के लिए डब्ल्यूसीएल जिम्मेदार नहीं होगा।

xvii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए पर्याप्त समय पूर्व आवेदन करें ताकि अंतिम समय में नेटवर्क अथवा तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।

xviii. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ निजी कंपनी आदि में पहले से काम कर रहे किसी भी अभ्यर्थी की पिछली नौकरी के सेवा अनुबंध/वेतन/छुट्टी वेतन/पेंशन अंशदान आदि यदि कोई हो तो ऐसी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी का वहन डब्ल्यूसीएल द्वारा नहीं किया जाएगा।

xix. सरकारी/अर्धसरकारी संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट होने पर मूल दस्तावेजों की जांच/सत्यापन के समय 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्रस्तुत करना होगा और चयन की स्थिति में ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्टिंग के समय सम्बंधित संगठन द्वारा कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।

xx. चयनित अभ्यर्थियों को डब्ल्यूसीएल के किसी भी क्षेत्र की किसी भी भूमिगत खदान या खुली खदान में पदस्थ किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार उनकी सेवा के दौरान किसी भी समय डब्ल्यूसीएल के किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है।

xxi. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कंपनी के निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण में फिट पाए जाने के अधीन होगी।

xxii. अभ्यर्थी का चयन अनंतिम होगा, जो अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पात्रता मापदंड, चरित्र, पूर्ववृत्त और अन्य से संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगा तथा डब्ल्यूसीएल के नियमों के तहत नियुक्ति के लिए लागू अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन भी होगा।

xxiii. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि तथा अन्य विवरण बाद में डब्ल्यूसीएल वेबसाइट के माध्यम से सूचित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए डब्ल्यूसीएल द्वारा उन्हें आवंटित केंद्र/स्थल पर उपस्थित होना होगा। केंद्र/स्थल में कोई परिवर्तन अनुमत नहीं है तथा इस संबंध में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

xxiv. डब्ल्यूसीएल प्रबंधन बिना कोई कारण बताए अपने निर्णय से भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/परिवर्तित/प्रतिबंधित/विस्तारित/रद्द करने तथा रिक्तियों की संख्या में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। डब्ल्यूसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम होगा तथा इस संबंध में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

xxv. इस भर्ती के संबंध में सभी भावी संचार/सूचना डब्ल्यूसीएल वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की अपडेट के लिए नियमित रूप से डब्ल्यूसीएल वेबसाइट (www.westerncoal.in) का अवलोकन करते रहें।

xxvi. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज जांच/सत्यापन अथवा चयन उपरांत कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता (TA) अथवा दैनिक भत्ता (DA) देय नहीं होगा, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा उल्लेखित न हो।

xxvii. अभ्यर्थी अपने जोखिम पर परीक्षा केंद्र पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होंगे तथा डब्ल्यूसीएल किसी भी चोट या हानि आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

xxvii. किसी भी विवाद के लिए न्यायालयीन क्षेत्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे - नागपुर बेंच होगा।

xxix. किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/भ्रम की स्थिति में, रोजगार अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण ही मान्य माना जाएगा।

xxx. अगर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई परेशानी आती है, तो वे **ऑनलाइन पोर्टल के इंस्ट्रक्शन पेज** पर बताए गए **“हेल्प डेस्क”** से संपर्क कर सकते हैं।

(9) कदाचार के दोषी पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई

i. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अनुचित साधनों का प्रयोग करने, प्रतिरूपण करने, दुर्व्यवहार करने या चयन हेतु अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनुचित साधन का सहारा लेने का दोषी पाया जाता है; या किसी भी माध्यम से अपनी अभ्यर्थिता का समर्थन प्राप्त करने का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कंपनी भविष्य में ऐसे अभ्यर्थियों को कंपनी की किसी भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने से भी रोक सकती है।

ii. यदि नियुक्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र या किसी अन्य दस्तावेज में अपनी योग्यता, श्रेणी/जाति और अनुभव के संबंध में कोई झूठी जानकारी/विवरण प्रस्तुत किया है या आवेदन पत्र में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है/छिपाया है, तो उसकी सेवा को परिवीक्षा अवधि के दौरान या सेवा की पुष्टि के बाद भी तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

iii. किसी भी रूप में उपार्थना अयोग्यता का कारण माना जाएगा।

(10) आवेदन कैसे करें

i. अभ्यर्थी डब्ल्यूसीएल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: **www.westerncoal.in > Career > Recruitment > Employment Notification for Open Recruitment of various posts of Statutory Supervisory Staff i.e. Mining Sirdar, T&S Gr. C and Assistant Foreman (Trainee) (Electrical)/Electrical Supervisor, T&S Grade- C > Apply online**

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु **विस्तृत चरणबद्ध निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध** रहेंगे। अभ्यर्थियों को आवेदन भरते समय उनका पालन करना होगा।

ii. रोजगार अधिसूचना हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी भी संस्करण का उपयोग कर सकते हैं।

iii. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें।

iv. ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक होगा:

- हाल का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (तीन सप्ताह से अधिक पुराना नहीं) – JPG/JPEG प्रारूप में
- काले स्याही वाले पेन से किए गए हस्ताक्षर की स्कैन प्रति – JPG/JPEG प्रारूप में
- निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां (PDF/JPG/JPEG प्रारूप में) :
 - (क) केंद्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाणपत्र/अंकसूची।
 - (ख) केंद्रीय/राज्य बोर्ड द्वारा जारी इंटरमीडिएट/उच्च माध्यमिक परीक्षा/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र/अंकसूची (वैकल्पिक)

(ग) निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां (तालिका-८)

क्र.सं.	पद	दस्तावेज
1	माइनिंग सरदार, टी एंड एस ग्रेड-सी	क) डीजीएमएस द्वारा जारी वैध माइनिंग सरदार सक्षमता प्रमाण पत्र ख) वैध गैस परीक्षण प्रमाण पत्र ग) वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र घ) भूमिगत खानों में काम करने का 3 वर्ष का अनुभव या क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एवं अंकसूची ख) डीजीएमएस द्वारा जारी वैध ओवरमैन सक्षमता प्रमाण पत्र ग) वैध गैस परीक्षण प्रमाण पत्र घ) वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र
2	सहायक फोरमैन (प्रशिक्षु) (इलेक्ट्रिकल)/इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, टी एंड एस ग्रेड-सी	क) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (न्यूनतम 3 वर्ष का कोर्स) एवं अंकसूची ख) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी खदानों के लिए वैध इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी प्रमाण पत्र

टिप्पणी :

- केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित समकक्ष अथवा उच्चतर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्रों एवं अंकसूची की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी।
- माइनिंग सरदार पद हेतु डीजीएमएस द्वारा जारी उच्चतर वैधानिक सक्षमता प्रमाणपत्र रखने वाले अभ्यर्थियों को भी संबंधित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

(घ) एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में वैध प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

(ङ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-Estt.(Res.) दिनांक 31.01.2019 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति अपलोड करनी होगी। यह प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2025-26 की सकल वार्षिक आय के आधार पर निर्गत होना चाहिए। एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)

v. एससी/एसटी/ईएसएम/विभागीय अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य सभी अभ्यर्थियों को ₹1000/- आवेदन शुल्क तथा ₹180/- जीएसटी सहित कुल ₹1180/- का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

vi. आवश्यक अथवा स्पष्ट रूप से पठनीय दस्तावेज संलग्न न किए जाने पर आवेदन अपूर्ण माना जाएगा तथा निरस्त कर दिया जाएगा। सभी आवश्यक विवरण भरने के पश्चात अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा दर्ज की गई जानकारी सही है। आवेदन अंतिम रूप से जमा होने के बाद किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को भविष्य के संदर्भ हेतु आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति सुरक्षित रखने की सलाह दी जाती है।

vii. जो आवेदक एक से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन जमा करते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि केवल उच्चतर “आवेदन अनुक्रम संख्या” वाले ऑनलाइन आवेदन पर ही डब्ल्यूसीएल द्वारा विचार किया जाएगा तथा एक “आवेदन अनुक्रम संख्या” के लिए भुगतान किया गया शुल्क किसी अन्य “आवेदन अनुक्रम संख्या” के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

(10) महत्वपूर्ण तिथियाँ (तालिका ९):

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभ तिथि	20.07.2026, सुबह 10:00 बजे (सोमवार)
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	10.08.2026, रात 11:55 बजे (सोमवार)
पात्रता/उपयुक्तता/आयु निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि	10.08.2026
पात्र अभ्यर्थियों के लिए ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि	आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा
परीक्षा की संभावित तिथि	आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा
उत्तर कुंजी का प्रदर्शन	आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा
आपत्ति प्रबंधन विंडो	आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा
परिणामों की घोषणा की संभावित तिथि	आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा

नोट: - समय-समय पर अद्यतन जानकारी डब्ल्यूसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। प्रबंधन कंपनी की आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या या किसी अन्य शर्त को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(12) डब्ल्यूसीएल का निर्णय अंतिम होगा: पात्रता, आवेदन स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर दंडात्मक कार्रवाई, चयन प्रक्रिया, परीक्षा संचालन, परीक्षा केंद्रों के आवंटन, अभ्यर्थियों के चयन तथा पदस्थापना से संबंधित सभी मामलों में डब्ल्यूसीएल प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अलावा अन्य सवालों के लिए संपर्क विवरण:

- ई-मेल आईडी : recruitmentir.wcl@coalindia.in
- हेल्पलाइन नंबर: 0712 - 2511664
- कार्यालय समय:** सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार)
दोपहर के भोजन के समय को छोड़कर (दोपहर 01:30 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक)
सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक (शनिवार)
रविवार और छुट्टियों के दिन कार्यालय बंद रहेगा

**उप महाप्रबंधक (मा. सं./औ.सं.)
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
छठी मंजिल, कोल इस्टेट,
सिविल लाइंस, नागपुर - 440 001**

अस्वीकरण (Disclaimer)

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) में नौकरी दिलाने के नाम पर प्रभाव, अनुचित अथवा अनैतिक साधनों का उपयोग कर रोजगार दिलाने का झूठा आश्वासन देने वाले दलालों एवं नौकरी दिलाने वाले गिरोहों से सावधान रहें। डब्ल्यूसीएल ने अपनी ओर से किसी भी एजेंट, प्रतिनिधि अथवा कोचिंग संस्था को नियुक्त नहीं किया है। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किए गए ऐसे दावों पर विश्वास न करें। चयन पूर्णतः योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थी असामाजिक एवं धोखाधड़ी करने वाले तत्वों से सावधान रहें तथा उनके झांसे में न आएं। डब्ल्यूसीएल को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा तथा उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

Syllabus for the Post of Mining Sirdar, T&S Grade- CPart 1

- General English, Comprehension, verbal and non-verbal reasoning
- Logical reasoning and analytical ability
- Quantitative aptitude, Basic Numeracy (Numbers and their Relations, Orders of Magnitude, etc. - Class X level)
- Data Interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc. - Class X level)
- General awareness regarding current issues of national importance and Coal Industry

Part 2

- Explosive and Blasting Practice in Opencast and Underground coal mines.
- **Method of work** - Board and pillar development and depillaring, Other mechanized method, (Mass production technology), Line of goaf, Method of depillaring, Air blast, Contiguous working,
- **Support** - Strata control and monitoring plan (SCAMP) and instrumentation, Roof bolting (cement/ Resin), anchorage testing of bolts, quality of support, withdrawals of supports, Method of timbering and setting of supports, withdrawals of supports
- **Stowing** - Purpose, Method, Ratio, difficulties and remedial measures, subsidence and different material used for stowing / filling in UG mines.
- **Opencast working** - Method of work, mechanized and manual methods; deep hole drilling and blasting; shovel and dumpers; dragline; surface miner; benching; maintenance of haul roads; precautions while extracting developed pillars by opencast method and other safety precautions; methods of reclamation; dump management; Bench & Dump slope monitoring, Traffic Rules & Regulations; LMV road;
- **Drifting** - Purpose and gradient; manual/mechanized; Support; Ventilation; Blasting
- **Geology** - Formation of coal; Geological disturbance and precautions
- **Mine Surveying** - in UG and OC mines. Plans & Section
- **Danger of inundation** - in UG and Opencast Working; approaching water logged working, water dam, conditions in coal mines regulations 2017,
- **Mine Fires** - Surface & Underground, Fire fighting techniques, precautions against fire, spontaneous heating, isolation stopping, Fittings & inspection
- Mine Rescue
- **Mine Ventilation & Mine gases** - detecting, precautions, instruments, effects, gas chromatography, air sampling, gas explosions.

- Duties of Sirdar, Inspection, Persons under him, quality of inspection, charge hand over / taking over, Report book.
- Man riding systems in UG mines.
- Winding in shaft and safety devices. Haulage roadway, Travelling roadway, Belt Roadway, Lighting, white washing, Means of Access & Egress
- **Shaft sinking**- Method of shaft sinking, Support, Lining
- **Coal dust** - Regulations, Precautions, Explosions, Stone dust barrier, Gravimetric/Personal dust sampler
- **Accident** - Fatal, Serious, reportable, Dangerous occurrence, Near miss, causes and preventions
- **Face machineries** - SDL, LHD, Continuous miner and its package, Belt conveyor, UDM, Haulage, Haulage rope, Face pump, Drill machine.
- **Electrical** - Electric cables, Switches, FLP enclosure, intrinsically safe and other electrical devices used in UG mines.
- Provisions of the Mines Act 1952 , Coal Mines Regulations 2017 , Mine Rules and Bye- laws made under , DGMS circulars relating to the safety of persons employed in mines in general and to the duties of Sirdar's and Shotfirer's in particular.
- Writing of reports

Syllabus for the Post of Assistant Foreman (Trainee) (Electrical)/Electrical Supervisor, T&S Grade- C

Part 1

- General English, Comprehension, verbal and non-verbal reasoning
- Logical reasoning and analytical ability
- Quantitative aptitude, Basic Numeracy (Numbers and their Relations, Orders of Magnitude, etc.) (Class X level)
- Data Interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc. Class X level)
- General awareness regarding current issues of national importance and Coal Industry

Part 2

- **Basics of Electrical Engineering:** Ohm's Law, Kirchoff's law connections in series, parallel, Power factor and its improvement, Contract demand, Maximum demand, , Energy Conservation measures, Megger, Safety devices in Electrical system, PPE, Measuring equipments used in electrical systems.
- **Power generation economics:** Load factor, Diversity factor, Billing Cycle etc. Capacitor bank, APFC, AVR etc.
- **Electrical Machineries:** Operation, maintenance and pre-commissioning test, different types of motors (AC&DC). Types of Motors and their load characteristics. Operation, maintenance and pre-commissioning test of different types of generators. Operation, maintenance and pre-commissioning tests of different types of transformers. CT,PT, Auto transformer etc. Machineries/Equipment related to renewable generating stations. Battery operated vehicles and Locomotives.
- **Electric Drives and Control:**
 - Operation maintenance of Different types of starters including AC Drives such as VFDs etc., DC Drives, soft starters etc.,
 - PLC, SCADA and DCS
- **Switchgear and protective devices:** Operation maintenance, pre-commissioning tests of different types of circuit breakers, different types of protective schemes/protective devices and their operation maintenance and relay co-ordination
- **Earthing system:** Requirements, types of earthing, maintenance, chemical earthing and relevant provisions of IS - 3043
- **Neutral system of power supply:**

- Solid neutral earthing, restricted neutral earthing, isolated neutral earthing, advantages /disadvantages
- Provisions of the Regulation for suitably designed restricted neutral system of power supply including neutral-ground monitoring protection system.
- **Design and layout of sub-station, Safety in sub-station, switchyard and switchboards:**
 - Safe working clearance.
 - Guarding of live apparatus.
 - Operation and maintenance of circuit breakers, isolators, arresters, SPD, instrument transformers, storage tanks etc.,
 - Operation and Maintenance of substations and generating stations including maintenance of storage battery and related auxiliaries.
- **Operation and maintenance of substations and generating stations including maintenance of storage battery and related auxiliaries**
- **Operation, maintenance of overhead lines and underground cables Safety measures in over headlines**
 - Types of stays, its markings, grouting, stay insulator, binding etc.,
 - Types of guarding and clearances, earth/neutral wire, anti- climbing devices, and their erection
 - Selection and fixing of control devices viz. Linked switches, fuses, isolators, earthing switches and lightning arrestors/surge diverters etc.
 - Cables and conductors, their classification, construction, insulation types, laying, mining type cables and the related standards, cable jointing techniques, terminations and junction boxes
- **General safety:** Procedure for obtaining permission to work for. carrying out operations and maintenance of electrical equipment (permit to work as per IS:5216). Safety in electrical workshop, Firefighting equipment, their type, use and periodical maintenance, indicators, recorders etc., First aid training, resuscitation of persons suffering from electric shock etc.,Various Lightning protections.
- **Legislation/statutes as amended from time to time:**
 - Provisions of Central Electricity Authority (Measures relating to safety and electric supply), Regulations 2023
 - Provisions of Electricity Act,2003
 - NBC 2016 with updates
- **On-Site emergency management plan in case of contingency related to electricity:**
 - Emergency response procedure including response to off-site emergency management plan and crisis and disaster management plan

The form of certificate to be produced by Scheduled Caste/ Scheduled Tribe candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

'This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*

son/daughter* of of village/town*

..... in District/Division * of the State/Union Territory*

..... belongs to the caste/tribe* which

is recognized as Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:—

@ the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950

@ the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950

@ the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951

@ the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification) Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966; the State of Himachal Pradesh Act, 1970; and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the State of Mizoram Act, 1986 the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act, 1987.]

@ the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956

@ the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.

@ the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.

@ the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.

@ the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.

@ the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.

@ the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.

@ the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

@ the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

@ the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978 @ the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

@ the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989

@ the Constitution (SC) Order (Amendment) Act, 1990.

@ the Constitution (ST) Order (Amendment) Act, 1991.

@ the Constitution (ST) Order (Second Amendment) Act, 1991.

@ the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002.

@ the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2002.

@ the Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002.

@ the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002. @

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration to another.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate* issued to Shri/ Shrimati*..... Father/mother of Shri/Shrimati/Kumari*of village/ town*.....in District/Division* of the State/Union Territory* who belongs to thecaste/ Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* in the State/Union Territory.....issued by the.....dated.....

% 3. Shri/Shrimati/Kumari* and/or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/. town* of District/Division*of the State/Union Territory* of.....

Signature.

**Designation. (With Seal of Office)

Place: State/Union Territory *

Date:

*Please delete the words which are not applicable.

@ Please quote specific Presidential order.

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term "Ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

****List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.**

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/...Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (...not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

The form of certificate to be produced by Other Backward Classes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

'This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari*

son/daughter* of of village/town*

..... in District/Division * of the State/Union Territory*

..... belongs to the..... community which is recognised as a backward class under :—

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/68/93-BCC(C) dated 10th September, 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 186 dated the 13th September, 1993.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19-10-94, published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 163 dated 20-10-1994.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/7/95-BCC dated 24-5-95, published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 88 dated 25-5-1995.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/96/94-BCC dated 9th March, 1996 published in Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 60 dated 11th March, 1996.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/44/96-BCC dated 6th December, 1996 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 210 dated 11th December, 1996.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/13/97-BCC dated 3rd December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section-I, No. 239 dated the 17th December, 1997.

@Government of India, Ministry of Welfare Resolution No. 12011/99/94-BCC dated the 11th December, 1997 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 236 dated the 12th December, 1997.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/68/98-BCC dated the 27th October, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 241 dated the th October, 1999.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/88/98-BCC dated the 6th December, 1999 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 270 dated the th December, 1999.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/36/99-BCC dated the 4th April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 71 dated the 4th April, 2000.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/44/99-BCC dated the 21st September, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 210 dated the 21st September, 2000.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/9/2000-BCC dated the 6th September, 2001 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 246 dated the 6th September, 2001.

@Government of India. Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/1/2001-BCC dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I, No. 151 dated 20th June, 2003.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/4/2002-BCC dated 13th January, 2004 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 9 dated 13th January, 2004.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No.

12011/9/2004-BCC dated 16th January, 2006 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 10 dated 16th January, 2006.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12011/14/2004-BCC dated 12th March, 2007 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 67 dated 12th March, 2007.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 18th August, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 232 dated 18th August, 2010.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/2/2007-BCC dated 11th October, 2010 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 274 dated 12th October, 2010.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/15/2008-BCC dated 16th June, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 123 dated 16th June, 2011.

@Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment Resolution No. 12015/13/2010-BC-II dated 8th December, 2011 published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I, No. 257 dated 08th December, 2011.

Shri/Shrimati/Kumari *.....and/ or* his/her* family ordinarily reside(s) in village/town* of District/Division* of the State/Union Territory * of.....This is also to certify that he/she* does not belong to the persons/ sections* (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8-9-1993, O.M. No. 36033/3/2004-Estt. (res.) dated 9th March, 2004, O.M. 36033/3/2004-Estt. (Res) dated 14-10-2008 and OM No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 27.5.2013.

Signature.....

* *Designation.(With seal of office)

Place.....

Date.....

Note 1: The format of undertaking to be furnished along with the DAF by Other Backward Class candidates applying for appointment to post under the Government of India, is available as **Annexure VI.**

Note 2: Creamy layer clause in respect of OBC candidates must be as per OM No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 27.5.2013

Note: The term "ordinarily reside(s)" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

*Please delete the words which are not applicable.

@Strike out whichever is not applicable.

**List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC Certificates.

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/ Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/...Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/ Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (...not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar. (iv) Sub Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

DECLARATION FOR OBC (Non-Creamy Layer) CANDIDATES

“I,.....son/daughter of Shri.....Resident
of village/town/city.....district.....state.....hereby declare
that I belong to the.....community which is recognized as a backward class by the
Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in
Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36012/22/93-Estt.(SCT), dated
8.9.1993. It is also declared that I do not belong to persons/sections(Creamy layer) mentioned
in Column 3 of the Scheduled to the above referred Office Memorandum, dated 8.9.1993, O.M.
No.36033/3/2004-Estt.(Res), dated 9.3.2004, O.M. No.36033/3/2004-Estt(Res), dated
14.10.2008, O.M. No. 36033/1/2013-Estt.(Res), dated 27.5.2013, O.M. No. 36033/1/2013-
Estt/(Res/) dated 13.9.2017 and O.M. No. 36033/2/2018-Estt.(D) dated 08.06.2018.

Signature

Name:

Form-V

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs
and in cases of blindness)

[See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE
CERTIFICATE)

Recent Passport
size Attested
Photograph
(Showing face only)
of the person
with disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum
..... son/ wife/ daughter of
Shri..... Date of Birth
(DD/ MM/ YY) Age years, male/female
..... Registration No. permanent
resident of House No. Ward/Village/Street
..... Post Office District
..... State whose
photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of :

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is

(A) He/ She has% (in figure).....
percent (in words) permanent Locomotor
Disability/dwarfism/blindness in relation to his/her
..... (part of body) as per guidelines
(.....number and date of issue of the guidelines to be
specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability certificate is issued.

Form-VI
Certificate of Disability
(In case of multiple disabilities)
[See rule 18(1)]

(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE
CERTIFICATE)

Recent size Photograph (Showing face only) of the person with disability	Passport Attested
---	----------------------

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt/Kum
..... /son/wife/daughter of Shri
Date of Birth..... (DD)/(MM)/(YY) Ageyears,
male/female..... Registration No.....
permanent resident of House
No.....Ward/Village/Street.....
..... Post Office District.....
State whose photograph is affixed above, and are
satisfied that:

(A) He/she is a Case of Multiple Disability. His/her extent of
permanent physical impairment/disability has been evaluated as
per guidelines (.....number and date of issue of the
guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and
shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his /her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:-

In figures:-percent

In words:-percent

2. This condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve / not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary,

Or

(ii) is recommended/ after years..... months, and therefore this certificate shall be valid till..... (DD)/(MM)/(YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and seal of Member	Name and seal of Member	Name and seal of the Chairperson

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form-VII
Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)
(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE
CERTIFICATE)
[See rule 18(1)]

Recent size photograph (Showing only) person disability	Passport Attested face of the with
---	--

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum
..... son/wife/daughter of Shri
Date of Birth..... (DD)/(MM)/(YY) Age years,
male/female..... Registration No. permanent
resident of House No..... Ward/Village/Street
Post Office District..... State
whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she
is a case of disability. His/her extent of
percentage physical impairment/disability has been evaluated as
per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant
disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable.)

2. The above condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is :

(i) not necessary

Or

(ii) is recommended/ after years months, and therefore this certificate shall be valid till (DD)/(MM)/(YY)

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned

(Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
certificate is issued by a medical
authority who is not a government
servant (with seal))

Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.
--

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India by Ministry of Social Justice and Empowerment vide notification number 489, dated 15.06.2017.

Government of
(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____, Village/Street _____ Post Office _____ District _____ in the State/Union Territory _____ Pin Code _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her 'family'*** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets*** :

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List)

Signature with seal of Office _____
Name _____
Designation _____

**Recent Passport size
attested photograph of
the applicant**

*Note1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs _____ (name of the candidate with disability), a person with _____ (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o _____, a resident of _____ (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a
Government health care institution

Name & Designation.

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note:

Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I _____, a candidate with _____ (name of the disability) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the centre) in the District _____, _____ (name of the State). My qualification is _____.

I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is _____. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place:

Date: